न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या –2, गाजियाबाद ।

सत्र परीक्षण वाद संख्याः 759/2023

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं० 3289/2023

सरकार बनाम आसिफ अहमद।

मु०अ०सं०–242/2023

धाराः 307/34 भा०दं०सं० व 4/25 आयुध अधिनियम

थानाः लोनी

जिलाः गाजियाबाद।

आरोप

मैं, हीरा लाल –III , अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या –2, गाजियाबाद एतदद्वारा आप अभियुक्त आसिफ अहमद पुत्र यूनूस खान को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ–

प्रथम– यह कि दिनांक 08.03.2023 को समय करीब रात में 08:00 बजे, स्थान प्रेमनगर थाना क्षेत्र लोनी जिला गाजियाबाद पर आपने अपने लड़को के साथ एक राय होकर सामान्य आशय से वादी मुकदमा मो० सईम व उसकी साली हिराज को मुर्गा काटने वाले धारदार चाकू से पेट व नाजुक जगहो पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। जिससे हिराज को गम्भीर चोट आई तथा जहाआरा के हाथ में चोट आई। आपके इस कृत्य से यदि वादी की साली हिराज की मृत्यु हो जाती, तो आप हत्या के अपराध के दोषी होते। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा 307 भा०दं०सं० व सपठित धारा 34 भा०दं०सं० के अधीन दण्डनीय है एवं मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि दिनांक 08.03.2023 को समय करीब 11:32 बजे स्थान मौहल्ला प्रेमनगर में मुखबिर खास की सूचना पर उ०नि० मय हमराही द्वारा दबिश के दौरान आपको पकड़ा गया। जहां आपके द्वारा बताये गये छुरे को नाली से बरामद किया गया। पूछताछ पर आपने बताया कि यह वही चाकू है जिससे उक्त घटना कारित की गयी थी। जिसको रखने का आपके पास लाईसेन्स नहीं था, जो शासनादेश सं० 3411/आर/षष्ठम–पी–5–602–90 दिनांकित 22.10.1990 द्वारा प्रतिबंधित है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय है एवं मेरे प्रसंज्ञान में है।

अतएव एतदद्वारा मैं आपको आदेशित करता हूँ कि उपरोक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

दिनांकः 23.09.2024

(हीरा लाल –III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या –2, गाजियाबाद।

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया। उसने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की मांग की ।

दिनांकः 23.09.2024

(हीरा लाल –III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या –2, गाजियाबाद।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या –2, गाजियाबाद ।

सत्र परीक्षण वाद संख्याः 759/2023

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं० 3289/2023

सरकार बनाम आसिफ अहमद।

मु०अ०सं०–242/2023

धाराः 307/34 भा०दं०सं० व 4/25 आयुध अधिनियम

थानाः लोनी

जिलाः गाजियाबाद।

मैमोरेण्डम

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त आसिफ अहमद जेरे जमानत न्यायालय के समक्ष उपस्थित।

आरोप विरचन के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अपने केस का खुलासा किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान संकलित की गयी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 307/34 भा०दं०सं० व 4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना की गयी कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया जाये।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से कोई अपराध नहीं बनता है। गलत रूप से आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना की गयी कि अभियुक्त को उन्मोचित किया जाये।

पत्रावली का अवलोकन किया। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना में संकलित की गयी साक्ष्य एवं प्रस्तुत आरोप–पत्र के आधार पर धारा 307/34 भा०दं०सं० व 4/25 आयुध अधिनियम के अधीन प्रथम दृष्टया आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। तदनुसार अभियुक्त आसिफ अहमद के विरूद्ध धारा 307/34 भा०दं०सं० व 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध के लिए आरोप विरचित किया जाकर, पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 07.10.2024 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण तलब हो।

दिनांकः 23.09.2024

(हीरा लाल –III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या –2, गाजियाबाद।